

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर  
रामनिवास बनाम उमेश कँवर

तारीख हुकम

2146  
2025

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

22/04/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अप्रार्थी/रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के मूल वाद संख्या 169/2025 में पारित निर्णय दिनांक 25/02/2026 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25/02/2026 को अन्तिम निस्तारण हो चुका है ऐसे में यह अपील अब सारहीन हो गयी है एवं यह अपील चलने योग्य नहीं रह गयी है | अतः अपील अपीलान्त सारहीन हो जाने से खारिज फरमाई जावे |

हमने अधिवक्ता अप्रार्थी/रेस्पो. के कथनों के परिपेक्ष में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय मूल वाद में पारित निर्णय दिनांक 25/02/2026 का अवलोकन किया गया | जिससे रेस्पो. की कथनों की पुष्टि होती है कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो गया है जिससे यह अपील अब स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है | अतः अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर ह्ये |